राजस्थान राज्य एवं अन्य

बनाम

गोपालदास इत्यादि वगैरह।

13 जनवरी 1995

{कुलदीप सिंह एवं बी.एल. हंसारीया, न्यायधीशगण}

सेवा कानून – राजस्थान सिविल सेवक (संशोधित वेतनमान) नियम, 1983 – उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन – सिववालय के यूडीसी को उच्च वेतनमान देने के लिए – अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी की मांग, दिनांक 23 जनवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा अनुमित दी गई। दिनांक 01.07.2019 से संशोधित वेतनमान 01.9.1981 अन्य विभागों से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं पर भरोसा करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में जारी की गई अधिसूचनाओं पर भरोसा करते हुए भेदभाव की याचिका पोषणीय नहीं है।

राजस्थान राज्य में सरकारी सेवकों के वेतनमान को 17 दिसंबर से संशोधित किया गया था। 01.9.1981 राजस्थान सिविल सेवक (संशोधित वेतनमान) नियम, 1983 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी का वेतनमान रू. 385-650 से रु. 520-925 रुपये संशोधित किया गया था। मौजूदा वेतनमान 440-775 रु. 610-1090. सिववालय के यूडीसी को संशोधित किया गया था। अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी ने दावा किया कि उन्हें उच्च वेतनमान से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है जो सिववालय के यूडीसी को दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने दावे को स्वीकार कर लिया और दिनांक 23 जनवरी 1985 की अधिसूचना द्वारा संशोधन की अनुमति दे दी। जो दिनांक 1.2.1985. से प्रभावी हैं। अधीनस्थ कार्यालय में यूडीसी के रूप में कार्यरत प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर कर राज्य सरकार को उसे संशोधित वेतनमान देने का निर्देश देने की मांग की। 1.2.1985 के बजाय 1.9.1981. यह आरोप लगाया गया था कि राजस्थान सिविल सेवक (संशोधित वेतनमान) नियम, 1983 के लागू होने के बाद वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य के अन्य विभागों में विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों को संशोधित करते हुए समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाएँ जारी की गई। जिसके तहत सरकार ने दिनांक 01.9.1981 से संशोधन लागू किया था। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी और अधीनस्थ कार्यालयों के अन्य यूडीसी'ज के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया करोंकि उन्हें 1.9.1981 के बजाय 1.2.1985 से संशोधन की अनुमित दी गई थी। उच्च न्यायालय ने केवल भेदभाव के आधार पर रिट याचिका को अनुमित दी। इसलिए यह अपील की गई।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने भेदभाव की याचिका को स्वीकार करने में गलती की जिसके लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन अधिसूचनाओं पर भरोसा किया गया, वे विभिन्न परिस्थितियों में जारी की गईं और वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक नहीं थीं। अपीलकर्ताओं के अनुसार ये वह मामले थे जहां कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमों के तहत प्रदान किए गए सामान्य वेतन संशोधन में शामिल नहीं किया गया था, और इसलिए, उन्हें पहली बार 1.9.1981 से संशोधित वेतनमान दिया गया था और उन्हें उन कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए था जो नियमों द्वारा शासित थे। जबिक वर्तमान मामले में, अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज नियमों द्वारा शासित थे और उन्हें सचिवालय के यूडीसी के बराबर लाने के लिए संशोधित वेतनमान दिया गया था।

इस न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति देते हुए -

माना गयाः उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए चौदह अधिसूचनाओं से निपटने वाले वे कर्मचारी थे जो वेतन-संशोधन से बाहर रह गए थे और जिनके संबंध में राजस्थान सिविल सेवक (संशोधित वेतनमान) नियम, 1983 के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ये अधिसूचनाएं वेतन संशोधन की प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद सरकार के संज्ञान में आई किमयों से निपटने के लिए जारी की गई थीं। जहां तक अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज से संबंधित दिनांक 23.2.1985 की अधिसूचना का सवाल है, यह किसी विसंगित को दूर करने या नियमों से बाहर रह गई किसी श्रेणी के लिए कोई प्रावधान करने के उद्देश्य से नहीं थी। यह उच्च वेतनमान देने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी की मांग की स्वीकृति के परिणामस्वरूप जारी की गई एक अधिसूचना थी जो सचिवालय में उनके समकक्षों को दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अन्य यूडीसी'ज को दिनांक 1.2.1985 से संशोधित वेतनमान प्रदान करना उचित था।

1.2.1985. {218-एफ-एच, 219-ए,}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1991 की सिविल अपील संख्या 3528 इत्यादि। राजस्थान उच न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.12.88 से डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. 1987 की संख्या 3116.

ए. गुप्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से।

बदरीदास शर्मा एवं नरोत्तम व्यास, प्रतिवादी की तरफ से।

कुलदीप सिंह, न्यायाधीश, द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट राजस्थान राज्य को 1 सितंबर, 1981 से राजस्थान सिविल सेवक (संशोधित वेतनमान) नियम, 1983 (नियम) द्वारा संशोधित किया गया था। अधीनस्थ कार्यालयों के अपर डिवीजन कूर्क (यूडीसी) का वेतनमान नियमों के तहत रू. 385–650 रुपये से संशोधित किया गया था जिसको स्केल नंबर 9 (एस–9) कहा जाता है। रू. 520–925 (संशोधित एस–9)। मौजूदा वेतनमान रू. 440–775 सचिवालय के यूडीसी'ज के संबंध में को रू. 610–1090 (संशोधित एस–10) को संशोधित

कर जिसे स्केल नंबर 10 (एस-10) कहा जाता है। अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें सचिवालय के यूडीसी'ज को दिए जा रहे उच्च वेतनमान से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार ने अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया और 23 जनवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा 1 फरवरी, 1985 से उपनगरीय कार्यालयों के यूडीसी'ज को संशोधित एस-10 प्रदान कर दिया। गोपालदास, अपील में प्रतिवादी, जो इस पद पर कार्यरत थे। एक अधीनस्थ कार्यालय में यूडीसी'ज ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर राज्य सरकार को 1 फरवरी, 1985 के बजाय 1 सितंबर, 1981 से संशोधित एस-10 प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 21 दिसंबर, 1988 निर्णय दिया कि रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को 1 सितंबर, 1981 से अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज को संशोधित एस-10 देने का निर्देश दिया। राजस्थान राज्य की यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी का मुख्य तर्क यह था कि नियमों के लागू होने के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 1984/85 के दौरान समय-समय पर राज्य सरकार के अन्य विभागों में विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों को संशोधित करते हुए अधिसूचनाएं जारी कीं। संशोधन 1 सितंबर, 1981 से लागू किया गया था। सटीक तर्क यह था कि प्रतिवादी और अधीनस्थ कार्यालयों के अन्य यूडीसी'ज के साथ इस अर्थ में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था कि वर्ष 1984/85 के दौरान अन्य विभागों के संबंध में वेतन संशोधन किया गया था। 1 सितंबर, 1981 से प्रभावी किया गया, जबिक अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज को 1 फरवरी, 1985 से संशोधित एस-10 दिया गया था। वर्ष 1984/85 के दौरान जारी राजस्थान राज्य के अन्य विभागों से संबंधित चौदह अधिसूचनाओं पर भरोसा किया गया था। जिसके तहत 1 सितंबर, 1981 से संशोधित वेतनमान दिया गया। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और केवल भेदभाव के आधार पर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।

राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अरुणेश्वर गुप्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय पेटेंट में गिर गया है। भेदभाव की दलील को स्वीकार करने में त्रुटि जिसके लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। उनके अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा जिन अधिसूचनाओं पर भरोसा किया गया, वे विभिन्न परिस्थितियों में जारी की गईं और वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थीं। ये ऐसे मामले थे जहां नियमों के तहत प्रदान किए गए सामान्य वेतन संशोधन में कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। श्री गुप्ता के अनुसार जिन श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमों के तहत सामान्य वेतन संशोधन से छूट दी गई थी, उन्हें पहली बार संशोधित वेतनमान दिया गया था और इस प्रकार उन्हें 1 सितंबर से वेतन संशोधन देना आवश्यक था। 1981 उन्हें उन कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए जो नियमों द्वारा शासित

थे। दूसरी ओर जहां तक अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज का सवाल है, वे नियमों द्वारा शासित होते थे और उन्हें नियमों के तहत संशोधित एस-9 दिया गया था। यह न तो छूटे हुए श्रेणी के कर्मचारियों का मामला था और न ही वेतनमान के पुनः संशोधन का। 13 जनवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा यह किया गया कि अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी को सचिवालय के यूडीसी'ज के बराबर लाया गया और उन्हें 1 फरवरी, 1985 से संशोधित एस-9 के स्थान पर संशोधित एस-10 दिया गया। हम श्री गुप्ता द्वारा उठाए गए विवाद में काफी ताकत देखते हैं। उन्होंने हमें उन अधिसूचनाओं के बारे में बताया जिन पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था। उक्त अधिसूचनाओं पर संक्षेप में विचार करना उपयोगी होगा।

आयुर्वेदिक विभाग में जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट और जूनियर कंपाउंडस/नर्सों सहित विभिन्न पदों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 1984 में किनष्ठ विश्लेषणात्मक सहायकों के संवर्ग में दो मौजूदा वेतनमान थे। नियमों के तहत वेतनमान रु. 470-830 को संशोधित कर रु. 640-1180, लेकिन मौजूदा वेतनमान रू. 355-570 के संदर्भ में कोई संशोधित वेतनमान नहीं। नियमावली के तहत निर्धारित किया गया था। इसलिए मौजूदा वेतनमान में संशोधित वेतनमान (490-840) प्रदान करने वाली अधिसूचना हैं। मौजूदा वेतनमान रु. 355-570 को 1 सितंबर 1981 से जारी किया गया था। इसी प्रकार जूनियर कंपाउंडरस और नर्स के कैडर में दो वेतनमान थे। नियमों के तहत एक वेतनमान के संबंध में संशोधित वेतनमान का प्रावधान किया गया था, लेकिन दूसरे वेतनमान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार 20 जनवरी, 1984 की अधिसूचना में 1 सितंबर, 1981 से कर्मचारियों की छूटी हुई श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया। इसी प्रकार, आयुर्वेदिक विभाग से संबंधित अधिसूचना में उल्लिखित कर्मचारियों की अन्य सभी श्रेणियां वे थीं जो छूट गई थीं। नियमों के तहत वेतनमान का सामान्य संशोधन और इस तरह बाद की अधिसूचनाओं द्वारा उनके लिए प्रावधान करना और 1 सितंबर 1981 से इसे लागू करना आवश्यक हो गया।

राज्य उद्यम विभाग से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा 7 जून 1984 की अधिसूचना पर भरोसा किया गया। उक्त विभाग में तकनीशियन द्वितीय ग्रेड के कैडर में दो मौजूदा वेतनमान थे। उच्चतर वेतनमान उन लोगों के लिए था जो तृतीय श्रेणी के थे और निम्न ग्रेड गैर-द्वितीय योग्यता रखने वालों के लिए था। नियमों में निचले वेतनमान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और इस प्रकार राज्य सरकार ने 1 सितंबर, 1981 से निचले वेतनमान को संशोधित करने की अधिसूचना जारी की।

उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए सभी अधिसूचनाओं का विवरण देकर इस फैसले पर बोझ डालना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्री गुप्ता ने हमें अधिसूचनाओं के बारे में बताया है और हम संतुष्ट हैं कि वे सभी अधिसूचनाएं हमारे द्वारा चर्चा की गई दो अधिसूचनाओं के समान परिस्थितियों में जारी की गई थीं। संक्षेप में, उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए चौदह अधिसूचनाओं से निपटने वाले कर्मचारी वे थे जो वेतन-संशोधन से बाहर रह गए थे और जिनके संबंध में नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

संशोधित वेतनमान प्रदान करने वाले नियम राज्य सरकार द्वारा श्री बी.पी. बेरी, राजस्थान उच न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप बनाए गए थे। वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, विभिन्न विसंगतियों और चूक की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विसंगतियों को दूर करने और वेतन संशोधन की प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद सरकार के ध्यान में आने वाली चूक से निपटने के लिए आम तौर पर एक विसंगति समिति नियुक्त की जाती है। राजस्थान राज्य द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित चौदह अधिसूचनाएं जारी करके यही ठीक किया गया था, जिसके तहत संशोधित वेतनमान, जो नियमों के तहत शामिल नहीं किए जा सकते थे, प्रदान और लागू किए गए थे। जहां तक अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज से संबंधित 23 फरवरी 1985 की अधिसूचना का सवाल है यह किसी भी विसंगति को दूर करने या नियमों से बाहर रखी गई किसी श्रेणी के लिए कोई प्रावधान करने की दृष्टि से नहीं थी। यह उच्च वेतनमान देने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी'ज की मांग की स्वीकृति के परिणामस्वरूप जारी की गई एक अधिसूचना थी जो सचिवालय में उनके समकक्षों को दी गई थी। उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि 23 जनवरी, 1985 की अधिसूचना जारी करने का तथ्यात्मक आधार और उच्च न्यायालय द्वारा जिन चौदह अधिसूचनाओं पर भरोसा किया गया, वे पूरी तरह से अलग थीं। 23 जनवरी, 1985 की अधिसूचना में कोई गलती नहीं पाई गई और राज्य सरकार को 1 फरवरी, 1985 से प्रतिवादी और अधीनस्थ कार्यालयों के अन्य यूडीसी को संशोधित एस-10 देना उचित था।

हम अपील की अनुमित देते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं और गोपालदास द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं।

सी.ए. 1985 की संख्या 695 (एसएलपी(सी) संख्या 7468/93 से उत्पन्न)

विशेष अनुमति प्रदान की गई

हमने आज 1991 की सिविल अपील संख्या 3528 – राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम गोपालदास में फैसला सुनाया है। गोपालदास मामले में जिन कारणों और निष्कर्षों पर हम पहुंचे, हमने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्ध कर दिया।